अनुदान संख्या 59 – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 59–MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*3,00*	*. .*	*–3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1497,71,00	1735,93,00	1615,52,18	–120,40,82
पूरक	Supplementary	238,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				115,00,33
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		412,33,00	251,40,39	–160,92,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				160,68,26

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (12040.82 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 23822.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 51 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.3.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.12040.82 lakhs) constituted 51 percent of the supplementary grants of Rs.23822.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251'' सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services					
मू.	O.	3289.00				
पू.	S.	448.00		3821.97	3752.68	–69.29
पु.	R.	84.97				
मुख्य शीर्ष "2220'' सूचना तथा प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity					
मू.	O.	29979.00				
पू.	S.	3053.00		35829.48	35378.47	–451.01
पु.	R.	2797.48				
मुख्य शीर्ष "2221'' प्रसारण	Major Head "2221" Broadcasting					
मू.	O.	114241.00				
पू.	S.	20264.00		121895.54	121894.00	–1.54
पु.	R.	–12609.46				
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	1796.00				
पू.	S.	1.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–1797.00				

(I) 1901.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ; जिसमें से 1657.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "सामान्य (प्रसारण) - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.1901.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.1657.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) alone accounted for under Major Head "2552" – "General (Broadcasting) – Grants to Prasar Bharti – Prasar Bharti" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "फिल्में - अन्य व्यय" -

(क) "भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार" - 464.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 485.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 65.04 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) फिल्मों के डिजिटलाइजेशन में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) "फिल्म समारोह निदेशालय" - 1057.65 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1077.65 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 57.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम विदेश दौरे किए जाने और "रूस में भारत" स्कीम के लिए आंवटित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सत्यजीत रे फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान कोलकाता" - 1307.35 लाख रु. के मूल प्रावधान को 48.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1355.35 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 434.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्कीम को विलंब से अनुमोदन दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घ) "भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे" - 1575.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 170.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1745.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 268.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई ;

(खा) "अन्य"

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2220" – remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Films - Other Expenditure" –

(a) "National Film Archive of India" – the original provision of Rs.464.00 lakhs was augmented to Rs.485.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.65.04 lakhs (including supplementary grant) – due to delay in digitalisation of films.

(b) "Directorate of Film Festivals" – – the original provision of Rs.1057.65 lakhs was augmented to Rs.1077.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.57.16 lakhs (including supplementary grant) - due to less foreign tours and non-utilisation of the funds allocated for the scheme "India in Russia".

(c) "Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata" – the original provision of Rs.1307.35 lakhs was augmented to Rs.1355.35 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.48.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.434.35 lakhs (including supplementary grant) - due to late approval of the scheme and economy measures.

(d) "Film and Television Institute of India, Pune" – the original provision of Rs.1575.00 lakhs was augmented to Rs.1745.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.170.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.268.33 lakhs (including supplementary grant);

(B) "Others"

(क) ''जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण'' -

(i) ''भारतीय जन संचार संस्थान'' - 495.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 87.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 582.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 121.70 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुईं; और

(ii) ''अनुसंधान, निर्देशन और प्रशिक्षण प्रभाग'' - 228.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 258.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 78.19 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुईं।

(ख) ''रोजगार समाचार - रोजगार समाचार सेवाएं'' - 2825.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 13.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2838.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 412.75 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) मुद्रण आदेशों/अभिकरणों के कमीशन में कमी आने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2220'' -

(क) ''फिल्में - फिल्मों का निर्माण - फिल्म प्रभाग'' - 3597.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 426.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4023.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के संबंध में आयोजन समिति की बैठक न होने की वजह से वृत्तचित्रों के निर्माण

(a) "Research and Training in Mass Communication" –

(i) "Indian Institute of Mass Communication" – the original provision of Rs.495.00 lakhs was augmented to Rs.582.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.87.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.121.70 lakhs (including supplementary grant); and

(ii) "Research, Reference and Training Division" - the original provision of Rs.228.00 lakhs was augmented to Rs.258.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.78.19 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above three heads were due to non-approval of schemes.

(b) "Employment News – Employment News Services" - the original provision of Rs.2825.00 lakhs was augmented to Rs.2838.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.13.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.412.75 lakhs (including supplementary grant) – due to decrease in print orders/commission to agents and economy measures.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2220" –

(a) "Films – Production of Films – Films Division" – the original provision of Rs.3597.00 lakhs was augmented to Rs.4023.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.426.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.380.81 lakhs - due to non-finalisation of tenders for production of

संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और कम दौरे किए जाने के कारण 380.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''अन्य'' - समाचार पत्रों का पंजीकरण - भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार'' - 254.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 62.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 316.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पदों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण 8.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2221'' - ''सामान्य' - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती'' - 114237.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20264.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 134501.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो साफ्टवेयर स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, राष्ट्रमंडल युवा खेल, पुणे का देश में प्रसारण किए जाने, आउटसोर्सिंग की कम आवश्यकता होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर बजट में कटौती किए जाने के कारण 12607.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''अन्य - निगरानी सेवाएं - इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केंद्र (पूर्व सी एम एस)'' के अंतर्गत 237.60 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केंद्र के पूरे प्रभाग की स्थापना में विलंब होने और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत संविदागत कर्मचारियो की कम भर्ती किए जाने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 82.37 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 82 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4123.71 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''अन्य - विज्ञापन और दृश्य प्रचार-विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय'' के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले

documentary films and less tour conducted owing to non- conduction of meeting of organising committee for Mumbai International Film Festival.

(b) "Others – Registration of Newspapers – Registrar of Newspapers for India" – the original provision of Rs.254.00 lakhs was augmented to Rs.316.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.62.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.8.53 lakhs – due to non-sanctioning of posts.

(B) Major Head "2221" – "General – Grants to Prasar Bharti – Prasar Bharti" – the original provision of Rs.114237.00 lakhs was augmented to Rs.134501.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20264.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12607.00 lakhs - due to non-approval of software scheme, in house coverage of Commonwealth Youth Games, Pune and reduction of budget at revised estimates stage owing to less requirement towards outsourcing.

(IV) Under Major Head "2220" - "Others - Monitoring Services - Electronic Media Monitoring Centre(erstwhile CMS)" – saving of Rs.237.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in setting up of whole division of Electronic Monitoring Media Centre and recruitment of less contract staff under outsourcing.

(V) Under one head saving of Rs.82.37 lakhs occurred constituting 82 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.4123.71 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under Major Head "2220" - "Others - Advertising and Visual Publicity – Directorate of

ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4079.21 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - सूचना और प्रसारण मंत्रालय'' - 253.09 लाख रु. का अधिक व्यय (448.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2579.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, वेतन एवं लेखा कार्यालय का नवीकरण किए जाने और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सभागार में सुविधाओं में सुधार लाए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2220'' - ''अन्य'' -

(क) ''पत्र सूचना सेवाएं - पत्र सूचना ब्यूरो'' - 149.52 लाख रु. का अधिक व्यय(475.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 3802.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ज्यादा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''प्रकाशन - प्रकाशन प्रभाग'' - 147.63 लाख रु. का अधिक व्यय (372.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1820.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, सिविल/इलेक्ट्रिक प्रभारों में बढ़ोतरी होने और बिक्री पर प्रोदभूत कमीशन प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Advertising and Visual Publicity". Actual excess, however, was Rs.4079.21 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) "Major Head 2251" – "Secretariat – Ministry of Information and Broadcasting" – excess of Rs.253.09 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2579.00 lakhs including supplementary grant of Rs.448.00 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report, renovation of Pay and Accounts Office and improvement of facilities at auditorium for Commonwealth Games.

(B) Major Head "2220" - "Others" -

(a) "Press Information Services – Press Information Bureau" – excess of Rs.149.52 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3802.00 lakhs including supplementary grant of Rs.475.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, more cultural exchange programmes for Commonwealth Games and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Publications - Publication Division" – excess of Rs.147.63 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1820.00 lakhs including supplementary grant of Rs.372.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report, enhancement of Civil/electricity charges and accrued commission on sale.

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4220'' सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4220" Capital Outlay on Information and Publicity					
मू.	O.	3493.00		1333.74	1309.39	–24.35
पु.	R.	–2159.26				
मुख्य शीर्ष ''6221'' प्रसारण के लिए कर्ज	Major Head "6221" Loans for Broadcasting					
मू.	O.	32640.00		23831.00	23831.00	. .
पु.	R.	–8809.00				
मुख्य शीर्ष ''6552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas					
मू.	O.	5100.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–5100.00				

(I) 6367.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6337.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.6367.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.6337.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4220'' -

(A) Major Head "4220"-

(क) ''फिल्में - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम '' - 800.00 लाख रु. ''इक्विटी भागीदारी'' स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(a) "Films –Investment in Public Sector and Other Undertakings – National Film Development Corporation" – Rs.800.00 lakhs - due to non-approval of the scheme "Equity Participation".

(ख) ''अन्य - भवन - पत्र सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रेस केंद्र तथा लघु जनसंचार केंद्रों की स्थापना'' - 437.00 लाख रु. नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली शहरी कला आयोग से सांविधिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(b) "Others – Buildings – Setting up of National Press Centre and Mini Media Centres of Press Information Bureau" – Rs.437.00 lakhs – due to non-receipt of statutory approval from New Delhi Municipal Council/Delhi Urban Art Commission.

(खा) मुख्य शीर्ष "6552" - "प्रसारण के लिए कर्ज - प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती" - 5100.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग उपयोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "6552" – "Loans for Broadcasting – Loans to Prasar Bharti – Prasar Bharti" – Rs.5100.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4220" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4220" – savings occurred under the following heads:-

(का) "फिल्में - अन्य भवन - चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग) " - 482.48 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Films - Other Buildings – Setting up of Museum of Moving Images (Films Division)" – saving of Rs.482.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-approval of scheme by Standing Finance Committee.

(खा) "अन्य" -

(B) "Others" –

(क) "भवन - सूचना भवन" - 176.80 लाख रु. की बचत (353.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल निर्माण स्कंध द्वारा सूचना भवन के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(a) "Buildings – Soochna Bhawan" - saving of Rs.176.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.353.00 lakhs) was due to slow pace of construction of Soochna Bhawan by Civil Construction Wing.

(ख) "निगरानी सेवाएं - इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केंद्र" - 200.00 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रसार भारती द्वारा कार्यालय स्थान के आबंटन में विलंब किए जाने और जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित उपस्करों के अधिष्ठापन की निविदा प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(b) "Monitoring Services – Electronic Media Monitoring Centre" – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to delay in allocation of office space by Prasar Bharti and consequently in tender process for installation of requisite equipments.

(III) मुख्य शीर्ष " 6221" - "प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती" के अंतर्गत 8809.00 लाख रु. की बचत (32640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और मुकदमेबाजी और पूर्वोत्तर में खराब कानून और व्यवस्था की वजह से अनुमोदित और चालू स्कीमों में व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "6221" – "Loans to Prasar Bharti – Prasar Bharti" – saving of Rs.8809.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.32640.00 lakhs) was due to non-approval of some of new schemes and slow pace of expenditure in approved and ongoing schemes owing to litigation, bad law and order situation in North East.